an>

Title: Need to permit the use of loudspeakers during the festival of Ganesh Chaturthi till 12.00 midnight in Maharashtra.

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महाराÂट्र में चतुर्थी का त्यौहार काफी हÂ○ा○ौल्लास के साथ मनाया जाता है। यह त्यौहार धार्मिकता से बढ़कर सांस्कृतिक सौहार्द का प्रतीक है। इस त्यौहार में पूरे दस दिनों तक सभी धर्मों के लोग शामिल होते हैं। गणेश चतुर्थी के त्यौहार में पूजा अर्चना के साथ-साथ शाम को लोक संस्कृति के कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं जो देर रात तक चलते हैं। परन्तु लाउड स्पीकार बजाने की अनुमति सिर्फ रात्रि 10 बजे तक ही दी जाती है। इससे लोक संस्कृति के कार्यक्रमों के लिए बहुत कम समय मिल पाता है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि गणेश चतुर्थी के त्यौहार पर दस दिनों के कार्यक्रमों के लिए लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति रात्रि 12 बजे तक अवश्य दी जाये। यदि सरकार चाहे तो लाउड स्पीकर की आवाज की सीमा निश्चित कर दे। सरकार से प्रार्थना है कि वह सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में शपथ-पत्र दाखिल करे ताकि इस पर बैन रद्द हो सके। ध्वनि प्रदूÂ○ाण को ध्यान में रखते हुए आवाज की सीमा भी तय की जाए एवं इस सांस्कृतिक त्यौहार और नवरात्रि में रात्रि 12 बजे तक लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति दी जाये।